भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 759
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

759. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, पूरी हो चुकी और कार्यशील खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) इन योजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है और कितनी निधि का उपयोग किया गया है; और
(ग) लंबित परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफ़एमई) के माध्यम से, देश भर में संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

एमओएफपीआई की योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्वीकृत और चालू/पूर्ण परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में रखा गया है। देश भर में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफ़पीआई और पीएमएफ़एमई के अंतर्गत वर्ष-वार कुल आवंटन और उपयोग की गई निधियां **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी विभिन्न कारकों के कारण होती है, जैसे राजस्व प्राधिकरण, नगर नियोजन, विद्युत प्राधिकरण, जल प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लाइसेंसिंग प्राधिकरण आदि सहित संबंधित एजेंसियों से वैधानिक मंजूरी न मिलना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं (i) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड; (ii) कार्यान्वयन में अड़चनों को दूर करने में मदद के लिए प्रमोटरों के साथ नियमित समीक्षा; (iii) परियोजनाओं के पूरा होने में देरी को रोकने के लिए साइट विजिट (वर्चुअल विजिट सहित) के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना; (iv) परियोजनाओं को सावधि ऋण की मंजूरी और संवितरण में तेजी लाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ उठाए गए मुद्दे; (v) परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के मामले में प्रवर्तकों पर दंडात्मक प्रावधान।

अनुबंध-।

लोक सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2026 को "विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ,'' के संबंध में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 759 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

एमओएफपीआई की योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्वीकृत और चालू/पूर्ण परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमकेएसवाई		पीएमएफएमई		पीएलआईएसएफपीआई	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	प्रचालित/पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण वितरण की संख्या	विभिन्न स्थानों पर मंज़ूर किए गए आवेदनों की संख्या	विभिन्न स्थानों पर पूर्ण किए गए आवेदनों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	0	0	18	15	0	0
2	आंध्र प्रदेश	43	27	9701	7675	36	36
3	अरुणाचल प्रदेश	7	1	229	214	0	0
4	असम	49	45	6199	5277	4	4
5	बिहार	6	3	31536	21833	7	7
6	चंडीगढ़	0	0	5	5	0	0
7	छत्तीसगढ़	6	1	1822	1457	1	1
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	1	12	12	0	0
9	दिल्ली	0	0	355	242	0	0
10	गोवा	0	1	154	143	1	1
11	गुजरात	43	45	1755	1419	32	32
12	हरियाणा	19	22	1916	1596	9	9

13	हिमाचल प्रदेश	5	18	2778	2570	4	4
14	जम्मू और कश्मीर	2	13	2494	1892	2	2
15	झारखंड	0	0	5205	3819	2	2
16	कर्नाटक	28	17	9834	8862	21	21
17	केरल	25	19	9550	8307	10	10
18	लद्दाख	0	0	101	88	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0		0	0
20	मध्य प्रदेश	17	14	15531	12544	10	10
21	महाराष्ट्र	86	73	30448	25327	41	41
22	मणिपुर	1	2	315	296	0	0
23	मेघालय	1	1	260	244	0	0
24	मिज़ोरम	0	1	85	68	0	0
25	नागालैंड	0	0	490	459	0	0
26	ओडिशा	16	10	3726	2873	5	5
27	पुडुचेरी	0	0	217	192	0	0
28	पंजाब	20	17	3334	3158	9	9
29	राजस्थान	26	12	1656	1431	6	6
30	सिक्किम	0	0	70	60	0	0
31	तमिलनाडु	39	31	18996	17294	19	19
32	तेलंगाना	40	17	7623	6053	13	13
33	त्रिपुरा	1	5	351	291	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30	36	24795	21726	26	26
35	उत्तराखंड	24	24	1223	1090	7	7
36	पश्चिम बंगाल	19	17	721	544	9	9
	कुल	**553**	**473**	**193505**	**93650**	**274**	**274**

अनुबंध- II

लोक सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2026 को ''विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ,'' के संबंध में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 759 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजनाओं में आवंटित और उपयोग की गई राशि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
	आर. ई.	ए. ई.	आर. ई.	ए. ई.	आर. ई.	ए. ई.	आर. ई.	ए. ई.	आर. ई.	ए. ई.
पीएमकेएसवाई	791 .00	713.49	673.00	561.92	745.00	666.20	630.00	540.12	650.00	570.02
पीएलआईएसएफ़पीआई	10.00	9.27	801.00	489.83	1150.00	590.50	700.00	450.49	1200.00	1199.96
पीएमएफएमई	399.00	326.46	290.00	274.76	800.00	778.84	1200.00	1023.10	1500.00	1296.53

आर.ई.—संशोधित अनुमान, ए.ई.- वास्तविक व्यय
